न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 102 / 2020

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. हजारीमल पुत्र बेलाजी जाति माली निवासी– भीनमाल, जालोर।		1. भमराराम पुत्र पारस 2. खीमाराम पुत्र पारस 3. छगना पुत्र चौपाजी 4. रमेश पुत्र गोवाजी 5. सुखलाल पुत्र गोवा 6. अर्जुन पुत्र गोवाजी 7. लखाराम पुत्र चौपाजी 8. सीता पत्नि गोवाजी 9. सुमेराराम पुत्र वीराजी 10. करनाराम पुत्र वीराजी 11. बाबूलाल पुत्र वीराजी 12. राधा पत्नि वीराजी 13. वीरा पुत्र मगाजी 14. शंकरा पुत्र विठाजी 15. दिनेश पुत्र हिमता जी 16. लच्छुदेवी पत्नी हिमताजी 17. सांवलाराम पुत्र वालाजी 18. भंवरलाल पुत्र वालाजी 19. बीजाराम पुत्र वालाजी 20. हरसन पुत्र वालाजी 21. मरसूदेवी पत्नि वालाजी 22. खेता पुत्र चौपाजी सभी जातियान मेघवाल,निवासी–दासपा रोड, भीनमाल 23. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 19.03.2013 न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 38 / 2012 अनवान सुमेराराम बनाम करनाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हुकमसिंह चंपावत अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 23 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 2 ता 22 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः जनवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 38/2012 अनवान सुमेराराम बनाम करनाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.02.2020 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 23 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस सुनी।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि उपरोक्त आदेश दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष एक द्वितीय अपील संख्या 38/2018 वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 01 ता 08 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें वर्तमान अपीलार्थी को रेस्पो0 संख्या 14 बनाया गया था जो कि दिनांक 10.02.2020 को विड्रो करने की वजह से जरिये विड्रो खारिज कर दी गई। उक्त अपील में दिनांक 21.1.2020 को ही वर्तमान अपीलार्थी हजारीमल ने उक्त अपील में प्रथम बार उपस्थिति दर्ज करवाई थी, तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 10.2.2020 को को ही रेस्पो0 संख्या एक ता 8 ने अपील को विड्रो करवा लिया जिसके पीछे उनका बदनियतिपूर्वक उददेश्य यह रहा कि इस अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व में दायर खातेदारी हक की घोषणा का दावा दिनांक 24.08.2012 को खारिज हो चुका था।

4. इन सब तथ्यों का खुलासा होने से उक्त अपील के निर्णय में विपरीत असर पड़ता एवं वर्तमान अपीलार्थी हजारीमल के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय द्वारा इस म्यूटेशन अपील में नहीं दिया जा सकता था। इसी अन्देशे से कि इन तथ्यों का खुलासा न्यायालय हाजा के समक्ष हो जायेगा एवं यह अपील गुणावगुण पर खारीज हो जायेगी। इसलिए उक्त अपील संख्या 38/2018 भमराराम वगैरा बनाम सुमेराराम वगैरा को जरिये विड्रोवल खारिज करवा लिया और गुणावगुण पर निर्णय नहीं हो पाई जिससे अपीलान्ट हजारीमल को आक्षेपित आदेश को इस अपील पेश करने का वादकरण उत्पन्न हुआ, अपीलार्थी स्वयं क्रोस अपील में आक्षेपित निर्णय को चुनौती दे सकता था तबं उनकी अपील अन्दरम्याद मानी जाती, परन्तु मुझे क्रोस अपील का अवसर प्राप्त हुए उससे पहले ही दिनांक 10.02.2020 को अपील विड्रोवल के जरिये खारिज करवा ली गई इसलिए यह अपील अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि सुमेराराम पुत्र वीराजी को नामांतरकरण संख्या 779 दिनांक 26.11.1969 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि दिनांक 2.3.1968 को वीराजी ने अपने भाईयों वीठा, वाला, सभी पुत्र मगा के साथ मिलकर अपनी तथाकथित उक्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के चोपा पुत्र रावता, कौम भाम्बी निवासी भीनमाल के हक मे संपूर्ण भूमि का बेचान कर दस्तावेज पंजीबद्व करावाया था जिसके आधार पर नामा0 संख्या 779 तत्कालीन खसरा संख्या 1097 की कुल रकबा 52 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1098 की कुल रकबा 6 बीघा भूमि का नामान्तरकरण चोपा वल्द रावता के नाम दिनांक 26.11.1969 को दर्ज हुआ। इस प्रकार वीठा, वाला, वीरा सभी पुत्र मगा जाति मेघवाल को प्रथम म्यूटेशन अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था ही नहीं। इस प्रकार आदेश दिनांक 19.03.2013 बिना लॉकस स्टेण्डाई व बिना वादकारण प्रस्तुत की गई जो लगभग 33

वर्षो की देरी के उपरांत पेश की गई जिस देरी को कन्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं था ।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि वर्तमान अपीलार्थी के पूर्व विक्रेता किरताराम चौधरी जो वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1097 व 1096 का मालिक राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने एवं सेटलमेन्ट से पूर्व से ही काबिज मालिक था। जिसके आधार का उसका मालिकाना हक घोषित किया गया था। उस व्यक्ति किरताराम को पक्षकार बनाये बगैर आक्षपित आदेश पारित कर दिया गया एवं किरताराम के विरूद्व बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के विरूद्व है। किरताराम के हक में वादग्रस्त भूमि जो जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में ही दर्ज हो चुकी थी उसका नामा0 संख्या 1064 दिनांक 29.5.74 को दर्ज हो गई थी एवं किरताराम ने उस भूमि का बेचान अपीलान्ट हजारीमल को किया था इस प्रकार किरताराम पुत्र श्री रामजीराम के अभाव में प्रस्तुत अपील जिस पर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.03.2013 को पारित किया गया है। वह आवश्यक पक्षकारो के अभाव में पारित किया गया है।

7. अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी कथन कियाकि सहा0 कलेक्टर भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर कीरताराम के पक्ष में स्वीकार किया कि मगा पुत्र रतना का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं था और बतौर खातेदार उसकी प्रविष्टि सेटलमेन्ट कर्मचारियेां द्वारा गलत की गई। उक्त आदेश के आधार पर कीरताराम के नाम नामा0 संख्या 1064 तहसीलदार भीनमाल द्वारा दर्ज किया गया। नामा0 संख्या 1064 को निरस्त कराने हेतु चौपा के वारिसान के द्वारा धारा 9 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल अजमेर के मुकदमा पेश किया जो दिनांक 10.5.2010 को खारिज कर दिया गया व नामा0 संख्या 1064 को बहाल रखा गया। तत्पश्चात वीरा व वाला, वीठा द्वारा सहा0 कलेक्टर भीनमाल के समक्ष एक वाद पेश किया जो खातेदारी अधिकारों के लिय हजारीमल के विरूद्ध था जो दिनांक 24.8.12 को खारिज कर दिया गया।

8. इसके उपरान्त वीरा के पुत्र सुमेराराम ने प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष नामा0 संख्या 779 बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए, लगभग 33 वर्ष के उपरान्त विलम्ब समय से उसको चुनौती दी, जिस अपील को 19.3.2013 को स्वीकार कर नामा0 संख्या 779 को निरस्त कर दिया जिसके पश्चात दिनांक 13.2.2020 को अपीलान्ट ने भी यह द्वितीय पेश करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.3.13 को चुनौती पेश की गई है। नामा0 संख्या 779 जो पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया था, उसे स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई थी क्योंकि वह पंजीकृत दस्तावेज था जिसे किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा जब तक निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसके आधार पर स्वीकृत किये गये नामा0 को निरस्त करना उचित नहीं था। रेस्पो0 संख्या एक के पिता द्वारा प्रस्तुत मूल वाद खारिज हो चुका था, तब म्यूटेशन अपील की संक्षिप्त कार्यवाही के जरिये किसी प्रकार से क्लेम नहीं किया जा सकता है क्योंकि नामा0 कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है और ऐसे प्रकरण में नियमित वाद के द्वारा ही खातेदारी अधिकार की प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। कीरताराम के पक्ष में स्वीकृत हुए नामा0 संख्या 1064 के विरूद्ध चौपा के वारिसान द्वारा प्रस्तुत मुदकमा राजसव मण्डल से भी दिनांक 1.5.2010 को खारिज हो चुका था। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा नामा0 संख्या 1064 व

1753 जो डिक्री व रजिस्टर्ड सेल के आधार पर स्वीकृत किये गये है, को चुनौती नहीं दी गई है। रेस्पो0 सुमेराराम के पिता द्वारा नियमित वाद वर्ष 2010 में पेश वाद के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील में आंशिक स्वीकार होकर नियमित सुनवाई के लिये सहा. कलेक्टर भीनमाल को रिमाण्ड कर दिया गया एवं वर्तमान में वह नियमित वाद सहायक कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में विचाराधीन है।

9. अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि किरताराम द्वारा भूमि का बेचान दिनांक 25.7.78 को अपीलान्ट हजारीमल के पक्ष में कर दिया। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 1753 दिनांक 13.3.79 को अपीलान्ट हजारीमल के पक्ष में स्वीकृत हुआ जिसके पश्चात से आज दिन तक निरन्तर रूप से अपीलान्ट खातेदार दर्ज है। वर्तमान अपीलार्थी हजारीमल के द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान आगे से आगे किया जा चुका है वो वादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है। अपीलान्ट हजारीमल के विरूद्व एवं अन्य तृतीय पक्षकारों जिन्होंने जरिए पंजीबद्व विक्रय विलेख के वादग्रस्त आराजी में विभिन्न क्रय किए है, को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि खातेदार चोपा या उसके वारिसानों या मगाजी के वारिसानों का कभी भी वादग्रस्त आराजी संख्या 1096 एवं 1097 जिसके नये खसरा नंबर 1858 व 1859 कुल रकबा 9.05 हैक्टर पर कभी नहीं रहा है। इस तथ्य की पुष्टि ऐसे होती है कि इन व्यक्तियों के विरूद्व फौजदारी कार्यवाही की जा रही है। इस आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.03.2013 अपास्त किए जाने योग्य है।

10. अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अति0 जिला कलेक्टर जालोर द्वारा प्रथम अपील में पारित अपीलाधीन आदेश का मुख्य आधार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 202/1985 में पारित निर्णय दिनांक 5.03.1986 है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा रिव्यू प्रार्थना पेश किये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 11.12.20 को स्वीकार कर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 05.03.86 को निरस्त कर दिया। ऐसे में वर्तमान में निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.1973 प्रभावी ही मानी जावेगी।

11. अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि पूर्व में प्रस्तुत द्वितीय अपील में दिनांक 10.02.2020 को विड्रो आदेश पारित होने के पूर्व दिनांक 21.01.2020 को ही अपीलान्ट ने प्रथम बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वर्तमान अपीलार्थी हजारीमल इस अपील में क्रोस अपील कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान अपील प्रस्तुत करने का अधिकार विरूद्व था। अतः अधिकार विरूद्ध आक्षेपित दिनांक 19.03.2013 को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त निर्णयों का अवलोकन कराया यथा सहा0 कलेक्टर भीनमाल जालोर के राजस्व वाद संख्या 34/2010 वीरा वगैराह बनाम हजारीमल वगैराह के निर्णय दिनांक 24.8.12 की प्रति, राजस्व मण्डल के प्रार्थना पत्र एलआरएक्ट संख्या 9573/09/जालोर अनवान चौपा के का.मु. बनाम किरताराम वगैरा में जारी निर्णय दिनांक 10.05.2010 की प्रति, राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या 2009/3134 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2020 आरआरडी 1992, पेज 304, आरआरडी 1998 पेज 119, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2004 पेज 375, आरआरटी 2002 पेज 53 इत्यादि।

12. रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में लिखित बहस के अनुसार घटित घटनाक्रम दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलान्ट का यह कथन कि अपील संख्या 38/2018 को न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के द्वारा दिनांक 10.2.2020 को विड्रो करने की वजह से खारिज फरमा दी, के अतिरिक्त समस्त कथन

मिथ्या व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। अपीलान्ट ने जिस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है, के बारे में अपील के मीमों में कोई खण्डन नहीं किया है न ही अपीलान्ट ने ऐसा कोई आधार प्रस्तुत किया है जिससे यह अपील स्वीकार योग्य हो। अपीलान्ट का उस पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलान्ट द्वारा भूमि का बेचान आगे से आगे किया जा चुका है ऐसे में अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के न कोई हित पैदा हो रहे है और न ही हित शेष रहता है।

13. रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि स्व0 मगा पुत्र रतना भांबी के नाम पर थी तत्पश्चात मगा के देहान्त होने पर उसके तीन पुत्रों के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 778 दिनांक 26.11.69 को भरा गया। तत्पश्चात उसके तीनों पुत्रों द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान चौपा भांबी के नाम कर देने से बेचान के आधार पर नामा. सं. 779 स्वीकृत हुआ।

14. अन्य व्यक्ति श्री कीरताराम निवासी–बोरून्दा ने सहा0 कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में राजस्व वाद सं. 24/1972 दायर किया जिसमें रेस्पो0 वीरा, वीठा, वाला व चौपा को पक्षकार बनाया गया तथा इकबालिया जवाबदावा के आधार पर कीरताराम के पक्ष में दिनांक 16.10.73 को खातेदारी हक की डिक्री पारित कर दी। जिसके विरूद्ध एक रेफरेन्स राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 व 232 के तहत जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में दिनांक 20.4.1978 पेश हुआ। उक्त रेफरेन्स के लम्बित रहने के दौरान कीरताराम ने भूमि का बेचान अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया। उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की होने से कीरताराम चौधरी के नाम किसी भी सूरत में नहीं होने के तथ्य भी सही है। जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 132/1978 को स्वीकार कर राजस्व मण्डल में प्रेषित किया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 05.03.1986 को सहायक कलेक्टर भीनमाल की डिक्री दिनांक 16.10.73 के विरूद्ध प्रेषित रेफरेन्स प्रकरण संख्या 232/1985 स्वीकार करते हुए उक्त डिक्री को खारिज कर दिया।

15. ऐसे में कीरताराम का अधिकार तत्समय ही खत्म हो गया, ऐसे में वर्तमान अपीलांट का भी उक्त भूमि पर कोई हक–अधिकार नहीं रहा। उक्त वादग्रस्त भूमि स्व0 मगा पुत्र रतना भांबी के नाम थी तथा 1968 में मगा के तीन पुत्रों के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 778 दिनांक 26.11.69 को भरा गया तत्पश्चात इन तीनों के द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान चौपा भांबी को कर दिया। जिसके आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 779 दर्ज हुआ है।

16. अपीलान्ट हजारीमल के द्वारा उक्त रेफरेन्स सं. 232/1985 को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और हजारीमल द्वारा किये गये बेचान/विक्रय के आधार पर यदि कोई क्रेतागण है यह यह उल्लेखिनीय है कि रैफरेन्स कार्यवाही के सक्षम न्यायालय में प्रस्तुतीकरण के पश्चात विक्रेता व क्रेता द्वारा न्याायालय से किसी भी प्रकार की कोई बेचान अनुमति नहीं गई थी। क्रेतागण है तो भी Lis Pendens के सिद्धान्त अनुसार अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन नामा0 संख्या 779 दिनांक 26.11.1969 के विरूद्ध जो प्रथम अपील (सुमेराराम बनाम करनाराम) इस आधार पर पेश की गई थी कि वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण भूमि बेचान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रादुर्भाव में आने के पश्चात मूल खातेदार स्व0 मगा के पुत्रों वीठा, वीरा व वाला द्वारा चौंपा के पक्ष में विक्रय विलेख किया गया था, जबकि मगा के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस पोत्रो का अविभक्त हिस्सा निहित होने से वे सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने में

सक्षम नहीं थें। इस प्रकार वर्तमान अपीलान्ट को कोई हित निहित ही नहीं है और न ही हजारीमल के विरूद्ध कोई अनुतोष मांगा गया था। अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया जाना कि सहायक कलेक्टर भीनमाल न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 34/2010 में पारित आदेश तथा उसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 42/2012 पेश की गई जो स्वीकार होकर राजस्व वाद में पारित आदेश को अपास्त करते हुए रिमाण्ड किया गया है। जिसमें मगा के वारिसों तथा चौपा के वारिसों के मध्य ही अनुतोष पाने के लिये प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपीलान्ट को लेशमात्र भी अधिकार निहित नहीं है। केवल राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में नामा0 नहीं भरा जाने से तथा पक्षकारान के मध्य चल रहे विवाद को कारण बताकर उक्त नामा0 कार्यवाही को रोकने के उददेश्य से यही अपील प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त अपील में रेस्पो0 संख्या 1 से 22 तक की विधि अनुसार तामीली कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई गई। तामील कुनिन्दा ने न तो रेस्पो0 संख्या 1 से 22 से सम्पर्क किया और न ही उन्हें सम्मन की कॉपी दी गई, अपितू तामील कुनिन्दा ने रेस्पो0 संख्या 1 से 22 से सम्पर्क ही नहीं किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत नहीं किया हुआ है, प्रार्थना पत्र मय अपील को बाधित होने से, खारिज किये जाने योग्य है

17. रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 19.3.2013 के आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी क्योंकि वो पूर्व में प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 संख्या 18 के रूप में पक्षकार था और उनके अधिवक्ता अजिताभसिह भी दिनांक को उपस्थित रहे थे, उनके द्वारा वर्तमान अपील को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया है। केवल मात्र राजस्व अभिलेख में राजस्व मण्डल के पारित आदेश के अनुसरण में नामा0 नहीं भरा जाने से तथा मगा के वारिसों के मध्य चल रहे विवाद को कारण बताकर नामा0 को रोकने के उददेश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.3.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का सभी को अधिकार था परन्तु अपीलान्ट ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जिसके द्वारा अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

18. हमने विद्वान अधिवक्ताओं के की गई बहस पर मनन किया एवं अपील के तथ्यों का, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में अपनी प्रथम आपत्ति यह कि है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुमेराराम पुत्र वीराजी को नामा0 संख्या 779 दिनांक 26.11.1969 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उनके पिता वीरा व चाचा वाला एवं वीठा ने उक्त भूमि का बेचान दिनांक 02.03.1968 को पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर चौपा पुत्र रावता के हक में कर दिया जिसके आधार अपीलाधीन नामा0 संख्या 779 दर्ज हुआ जिसे वे चुनौती देने के अधिकारी नहीं थे और अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील 33 वर्षो की विलम्ब/देरी के उपरान्त पेश की गई थी।

19. इस तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अति.जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया जिसमें अपील के म्याद बाबत रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई

जबाब पेश नहीं किये जाने के उपरान्त भी अपील को 33 वर्षो की अत्यधिक विलम्ब अवधि को अन्दर म्याद शुमार किया गया है। रेस्पोडेन्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील वादग्रस्त भूमि को पैतृक होने/पुश्तेनी होने के आधार यानि उनके दादा मगा की खातेदारी होने से वे उनके पौत्र होने के आधार पर अपना हक–हिस्सा निहित होने से पेश की गई थी।

20. अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा प्रथम अपील प्रकरण के निर्णय में दर्शाये गये रेफरेन्स प्रकरण जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 05.03.1986 को निर्णित किया गया है, का हवाला देते हुए तथा वादग्रस्त भूमि को मूल रूप से अनुसूचित जाति के खातेदारों के नाम दर्ज होना तथा सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा किरताराम पुत्र राजीराम चौधरी के नाम भूमि जरिये पारित डिक्री दिनांक 16.10.1973 के दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध उपरोक्त रेफरेन्स होने तथा किरताराम द्वारा भूमि वर्तमान अपीलान्ट हजारीमल को बेचान कर दिये जाने एवं रेफरेन्स निर्णय में उक्त जारी डिक्री को निरस्त दिया गया तथा किरताराम के नाम दर्ज भूमि विधिसम्मत नहीं होने से, किरताराम के द्वारा हजारीमल को बेचान का अधिकार नहीं माना एवं उक्त बेचान को स्वतः ही शून्य बताया। साथ ही नामा0 संख्या 779 जो वीठा, वाला व वीरा के द्वारा चौपा वलद सबला को किये गये बेचान के तहत भरा गया था, रेफरेन्स के निर्णय अनुसार उक्त भूमि में पूर्व जो समस्त खातेदार दर्ज थे उनके भूमि दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु उक्त भूमि सभी खातेदारों के नाम दर्ज नहीं होकर मात्र मगा के वारिसदारों के नाम दर्ज हुई, और उन्होंने उक्त भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर बेचान कर दी। अतः विवादित नामा0 निरस्त योग्य पाये जाने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भीनमाल को रेफरेन्स प्रकरण के निर्णय अनुरूप उभय पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिसम्मत नामा0 कार्यवाही करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधि की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

21. अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील के अतिरिक्त नये तथ्य/दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष दर्शाये है, पेश किये गये है वो तत्समय की प्रथम अपीलीय कार्यवाही के दौरान न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थे। अपीलान्ट चाहे तो वह तहसीलदार भीनमाल के समक्ष उपस्थित होकर रीमाण्ड प्रकरण की कार्यवाही में उक्त तथ्यों का समागम करवाने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रेस्पोडेन्ट होने से रिमाण्ड प्रकरण की कार्यवाही में अवश्य ही भाग लेगा। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अति0 जिला कलेक्टर जालोर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है, वो उचित प्रतीत होता है।

22. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर जालोर न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2013 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक जनवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर